न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 32 / 2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री रेवत सिंह पुत्र श्री माधोसिंह
   एफबीओ मैसर्सः—जय अम्बे जोधपुर स्वीट्स एण्ड बेकरी, भरतपुर रोड महवा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 18.09.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 20.02.2023 को सायंकाल 06:00 बजे मैसर्सः— जय अम्बे जोधपुर स्वीट्स एण्ड बेकरी, भरतपुर रोड महवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रेवत सिंह पुत्र श्री माधोसिंह उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मैनेजर होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक स्टील के काउन्टर के अन्दर स्टील की ट्रे में लगभग 10 किलो मात्रा में खाद्य पदार्थ डोडा बर्फी खोया एवं नारियल पाउडर से निर्मित **(DODA BARFI MADE WITH KHOYA AND COCONUT POWDER)** आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 2 किलोग्राम डोडा बर्फी खोया एवं नारियल पाउडर से निर्मित **(DODA BARFI MADE WITH KHOYA AND COCONUT POWDER)** खरीदे। जिसकी कीमत 600 रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किलोग्राम डोडा बर्फी खोया एवं नारियल पाउडर से निर्मित **(DODA BARFI MADE WITH KHOYA AND COCONUT POWDER)** को हिलामिलाकर मैश कर चार साफ, सुखी, खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मलिन की 40—40 बूंदे डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक **AG**-3180 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर **AG**-3180 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सीलबंद किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सीलबंद चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. मैनेजर को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:36 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 21.02.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.02.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 21.02.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाये।

उक्त खाद्य पदार्थ डोडा बर्फी खोया एवं नारियल पाउडर से निर्मित **(DODA BARFI MADE WITH KHOYA AND COCONUT POWDER)** का नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./188/एक्ट/2023/210 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार अमानक**(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट में नमूना अमानक**(Substandard)** स्तर का पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णयन आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं नियत तारीख पेशी पर उपस्थित आया एवं मौखिक रूप से बहस किये जाने का निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./188/एक्ट/2023/210 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ डोडा बर्फी खोया एवं नारियल पाउडर से निर्मित **(DODA BARFI MADE WITH KHOYA AND COCONUT POWDER)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में **B.R. Reading 47.7** पाई गई है। **B.R. Reading** के मानक मिल्क फैट के लिये 40.0 से 44.0 एवं **Coconut Oil** के लिये 34.0 से 35.0 निर्धारित किये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त नमूने में **Test for added Starch Positive** पाया गया है, जो कि **Negative** होना चाहिये था। उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने में **B.R. Reading** तय मानको से अधिक पाये जाने एवं **Test for added Starch Positive** पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना जांच रिपोर्ट में अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ डोडा बर्फी खोया एवं नारियल पाउडर से निर्मित **(DODA BARFI MADE WITH KHOYA AND COCONUT POWDER)** का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हमारी फर्म से खोया एवं कोकोनेट पाउडर से निर्मित डोडा बर्फी का सैम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु लिया गया था, जो कि जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर का पाया गया है। हमारे द्वारा खोया एवं कोकोनेट पाउडर से निर्मित डोडा बर्फी का निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। यह बर्फी दूध से बने [illegible] खोया एवं कोकोनेट पाउडर को मिलाकर बनाई जाती है। भविष्य में हमारे द्वारा खाद्य [illegible] अधिनियम में तय किये गये मानको का ध्यान रखते हुये ही खाद्य पदार्थो का निर्माण एवं विक्रय [illegible] जायेगा। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का [illegible] करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:36 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./188/एक्ट/2023/210 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ डोडा बर्फी खोया एवं नारियल पाउडर से निर्मित **(DODA BARFI MADE WITH KHOYA AND COCONUT POWDER)** का नमूना जांच रिपोर्ट में अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ डोडा बर्फी खोया एवं नारियल पाउडर से निर्मित **(DODA BARFI MADE WITH KHOYA AND COCONUT POWDER)** का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 **(II)** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ डोडा बर्फी खोया एवं नारियल पाउडर से निर्मित **(DODA BARFI MADE WITH KHOYA AND COCONUT POWDER)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित से अप्रार्थी अभियुक्त श्री रेवत सिंह पुत्र श्री माधोसिंह एफबीओ मैसर्सः—जय अम्बे जोधपुर स्वीट्स एण्ड बेकरी, भरतपुर रोड महवा जिला दौसा पर 1,00,000/—रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 18.09.2024 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः— .09.2024

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रेवत सिंह पुत्र श्री माधोसिंह
   एफबीओ मैसर्सः—जय अम्बे जोधपुर स्वीट्स एण्ड बेकरी, भरतपुर रोड महवा जिला दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:36 IST
Reason: SelfAttested